प्रारुप–5

परियोजना का विवरणः– जनपद टिहरी गढ़वाल में नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 कि0मी0)

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

शासनादेश संख्या 3930/111(2)/09–08 (एम0एल0ए0)/08 टी0सी0 दिनांक 02.03.09 द्वारा 2.00 कि0मी0 हेतु ₹ 70.00 लाख प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है। (छायाप्रति संलग्न)

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर।

37

संख्या – /III(2)/09–03(स)/2008 ...

प्रदीप सिंह
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2   देहरादून दिनांक मार्च, 2009

विषय:– वित्तीय वर्ष 2008–09 में ... नये कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता गढ़वाल लो०नि०वि० पौड़ी के पत्र संख्या–4671/... दिनांक 02–10–2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में मुख्य ... कराये ... कार्यों के लागत कुल रुपये 1172.50 लाख के आगणनों पर ... वित्तपूर्ण पायी गयी धनराशि रुपये 1172.50 लाख (रुपये ग्यारह करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार मात्र) की ... प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कॉलम–6 में अंकित ... रु० एक लाख दस हजार मात्र) की धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय करने ... निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. जो मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है उन मार्गों को संबंधित विभाग से लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कराने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जाय और कार्य के शासनादेश संख्या–4042/III(2)/–24(बजट)/2008 दिनांक 11–12–08 के मानक से आच्छादन की पुष्टि सुनिश्चित कर ली जाय।
2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय तथा भूमि अर्जन आवश्यकतानुसार नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
6. एकमुश्त प्राविधान का कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि से ध्यान में रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
9. आगणन में जिस मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
10. यदि उक्त कार्यों में से कोई योजना अन्य विभागीय बजट से प्रारम्भ किया जा चुका है या पूर्ण किया जा चुका है तो उस कार्य हेतु उक्त दी जा रही स्वीकृति निरस्त या उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी और स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरण नहीं किया जायेगा।

Photocopy attested

Assistant Engineer
Construction Div PWD

शासनादेश संख्या– 3130 / III(2) / 09–08(एम0एल0ए0) / 08टी0सी0 दिनांक 02 मार्च, 2009 का संलग्नक।

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद टिहरी गढ़वाल में नरेन्द्रनगर बाईपास बैण्ड से छतेड़ी मोटर मार्ग का विस्तार।	01.00	35.00	35.00	0.10
2.	जनपद टिहरी गढ़वाल में ग्राम पंचायत खांकर के अन्तर्गत नदीपली से हाईस्कूल खांकर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	03.00	105.00	105.00	0.10
3.	जनपद टिहरी गढ़वाल में विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत भल्डीबाग से रूईन्स खेत तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	02.00	70.00	70.00	0.10
4.	जनपद टिहरी गढ़वाल में विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत जंगलात रोड नवापानी से जूनियर हाईस्कूल दुवाकोटी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	01.50	52.50	52.50	0.10
5.	जनपद टिहरी गढ़वाल में ग्राम पंचायत क्याकी के अन्तर्गत कुरीखाल (हिण्डोखाल–शिवपुरी मोटर मार्ग के किमी0 10) से कुई तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	02.00	70.00	70.00	0.10
6.	जनपद टिहरी गढ़वाल में आगरखाल–कुसरैला मोटर मार्ग पर कुण्ड से कोडारना तक मोटर मार्ग निर्माण।	10.00	350.00	350.00	0.10
7.	जनपद टिहरी गढ़वाल में चमेल बैण्ड से सेमलीकाटल मोटर मार्ग का नव निर्माण।	03.00	105.00	105.00	0.10
8.	जनपद टिहरी गढ़वाल में गजा–नकोट मोटर मार्ग के (डाडी नामे तोक) से चमोगी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	02.00	70.00	70.00	0.10
9.	जनपद टिहरी गढ़वाल में अदवाणी–रौन्देली मोटर मार्ग पर टोलीखाल नामे तोक से लमोली–ओडाडा–पलोगी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	05,00	175.00	175.00	0.10
10.	जनपद टिहरी गढ़वाल में कौडियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	02.00	70.00	70.00	0.10
11.	जनपद टिहरी गढ़वाल में तिमली से नौडू काटल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	02.00	70.00	70.00	0.10
	योग– सड़क निर्माण– सेतु निर्माण–	33.50	1172.50	1172.50	1.10

(रुपये एक लाख दस हजार मात्र)

सम्बन्धी ।। कार्य निर्माण खण्ड, नरेन्द्रनगर

श्री पेत

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

Assistant Engineer
Construction Division, P.W.D.
Narendra Nagar, Munikireti